

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 15 सितम्बर, 2017

अधिसूचना सं० 76 /2017-सीमा शुल्क

सा०का०नि० (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा निर्देश देती है कि सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में उक्त सारणी स्तंभ (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि अनुसार यथास्थिति आगे संशोधन किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	46/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जून, 2011	उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 443, स्तंभ (2) में संख्या "3823 11 90", स्थान पर "3823 11 00" प्रतिस्थापित की जायेगी।
2.	53/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011	उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 476, स्तंभ (2) में संख्या "3823 11 90", स्थान पर "3823 11 00" प्रतिस्थापित की जायेगी।
3	50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017	उक्त अधिसूचना में, I. आरंभिक पैराग्राफ में संख्या और शब्दों "17 मार्च, 2017", के स्थान पर संख्या और शब्द "17 मार्च, 2012" प्रतिस्थापित की जायेंगे। II. तालिका में, क्रम संख्या 251, कॉलम 2 में संख्या "3823 11 90" के स्थान पर संख्या "3823 11 00" प्रतिस्थापित की जायेगी।

		<p>III. तालिका में, क्रम संख्या 252, कॉलम 2 में संख्या "3823 11 90" के स्थान पर संख्या "3823 11 00" प्रतिस्थापित की जायेगी ।</p> <p>IV. सूची 4 में, क्रम संख्या 86 में शब्द "रिक्रोनियम ब्रोमाइड" के स्थान पर शब्द " रोक्रीोनियम ब्रोमाइड" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।</p> <p>V. तालिका में, क्रम संख्या 467, कॉलम 2 में संख्या "8472 90" के स्थान पर संख्या और शब्दों "8472 90 या 8473 40" प्रतिस्थापित की जायेगी ।</p>
--	--	---

(फा.सं.354/119/2017-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:

- (1) मूल अधिसूचना सं0 46/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जून, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 423(अ), तारीख 1 जून, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 63/2016-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1203(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया था ।
- (2) मूल अधिसूचना सं0 53/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 499(अ), तारीख 1 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 65/2016-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1205 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया था ।
- (3) मूल अधिसूचना सं0 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 71/2017-सीमा शुल्क, तारीख 11 अगस्त, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 472 (अ), तारीख 11 अगस्त, 2017 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

